सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 857 राँची, गुरुवार, 20 कार्तिक, 1938 (श०)

12 अक्टूबर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

13 सितम्बर, 2017

कृपया पढ़े:-

1. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा का पत्रांक-446, दिनांक 13 सितम्बर, 2001
2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना का आदेश सं०-6973, दिनांक 30 अगस्त, 2002, संकल्प सं०-7041, दिनांक 3 सितम्बर, 2002 एवं पत्रांक-8817, दिनांक 1 दिसम्बर, 2003
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-5377, दिनांक 22 सितम्बर, 2003, संकल्प सं०-2035, दिनांक 17 अप्रैल, 2004 एवं संकल्प सं०-79, दिनांक 12 जनवरी, 2005

संख्या- 5/आरोप-1-798/2014 का.-9794-- चन्द्रशेखर प्रसाद, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-596/03, गृह जिला-गोपालगंज), तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हसनपुर, समस्तीपुर के विरूद्ध इनके पदस्थापन अवधि वर्ष 2000-01 के दौरान विभिन्न योजनाओं में

अनियमितता बरतने, योजनाओं में बिना कार्य प्रगति के ही अग्रिम का भुगतान करने, सरकारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्रतिवेदित किये गये जो, आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक-446, दिनांक 13 सितम्बर, 2001 द्वारा कार्मिक विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त हुआ ।

श्री प्रसाद के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समीक्षोपरांत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०-6973, दिनांक 30 अगस्त, 2002 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबित किया गया तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-7041, दिनांक 3 सितम्बर, 2002 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

उक्त निलंबन आदेश एवं विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में W.P.(S) No. 3540/2003 दायर किया गया । उक्त वाद में दिनांक 24 जुलाई, 2003 को आदेश पारित किया गया कि- "आदेश की प्रति उपलब्ध कराये जाने की तिथि से चार माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही का निस्तार बिहार सरकार द्वारा कर लिया जाना है । अगर बिहार सरकार इस मामले का निस्तार नहीं करती है तो अविलंब सभी संबंधित अभिलेखों को उक्त निदेशित अवधि के ही अन्दर निस्तार करने हेतु झारखण्ड सरकार को उपलब्ध करा देगी और झारखण्ड सरकार उक्त कार्यवाही को उक्त समय सीमा के अन्दर ही निस्तार कर देगी ।"

उक्त आदेश के आदेश आलोक में विभागीय पत्रांक-5377, दिनांक 22 सितम्बर, 2003 द्वारा न्यायादेश की प्रति संलग्न करते हुए इनके मामले से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से किया गया । उप सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-8817, दिनांक 1 दिसम्बर, 2003 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप से संबंधित संचिका आवश्यक कार्रवाई हेतु इस विभाग को उपलब्ध करायी गयी ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त संचिका में उपलब्ध कागजातों की सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2035, दिनांक 17 अप्रैल, 2004 द्वारा रोकड़बही विधिवत संधारण नहीं करने एवं अन्य प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद को चेतावनी की सजा दी गयी एवं सजा की प्रविष्टि इनके चारित्री पुस्ती के वर्ष 2000-2001 में करने का दण्ड दिया गया ।

तत्पश्चात् श्री प्रसाद के द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2004 को समर्पित आवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-79, दिनांक 12 जनवरी, 2005 द्वारा निलम्बन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अलावे कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु निलम्बन अवधि की गणना उनके पेंशन के प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया ।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No.-2786/2007 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22 जून, 2017 को पारित आदेश में विभागीय संकल्प सं०-2035, दिनांक 17 अप्रैल, 2004 द्वारा संसूचित चेतावनी तथा विभागीय संकल्प सं०-79, दिनांक 12 जनवरी, 2005 द्वारा निलम्बन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अलावे कुछ भी देय नहीं होगा, को निरस्त कर दिया गया है ।

अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 जून, 2017 के अनुपालन में विभागीय संकल्प सं०-2035, दिनांक 17 अप्रैल, 2004 द्वारा संसूचित चेतावनी तथा विभागीय संकल्प सं०-79, दिनांक 12 जनवरी, 2005 द्वारा निलम्बन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अलावे कुछ भी देय नहीं होगा, को निरस्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 857-50